राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(सी–7ए, सुल्तान हाऊस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर।)
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

अति–आवश्यक

क्रमांक:पैरामेडिकल.कौ / परीक्षा–कंडक्ट / 2022 / 1482 दिनांक: 15/6/2022

Seedling School Of Para Medical Sciences,
Kho. Rebariyan, Delhi By Pass, Jagatpura, Jaipur

विषयः– सत्र 2018–19 प्रथम वर्ष की रिमाण्डेड / पूरक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करने बाबत।

राजस्थान पैरामेडिकल कौसिल, जयपुर द्वारा प्रथम वर्ष रिमाण्डेड / पूरक परीक्षा 2018–19 की परीक्षायें दिनांक 14.06.2022 से 18.06.2022 तक आयोजित की जा रही है। इस सम्बन्ध में अनेक परीक्षार्थियो द्वारा इस कौसिल को यह शिकायत कि गई है कि उन्हें उपरोक्त सत्र 2018–19 प्रथम वर्ष की रिमाण्डेड / पूरक परीक्षा की परीक्षा में बैठाना है लेकिन महाविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा के प्रवेश–पत्र जारी करने से पहले द्वितीय वर्ष की फीस के साथ–साथ प्रथम वर्ष की बकाया फीस मय 03 वर्ष के विलम्ब शुल्क (लगभग 43,800) सहित जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में परीक्षार्थियों का कहना है कि जब सत्र 2018–19 प्रथम वर्ष मुख्य सैद्धान्तिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम ही नवम्बर 2021 मे जारी किया गया था तो एक साथ पिछले 03 वर्षो का विलम्ब शुल्क लगाना नियमों के प्रतिकूल, अनुचित एवं मनमानीपूर्ण है। यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ परीक्षार्थियों की परीक्षा कल दिनांक 16.06.2022 को भी है इस कारण प्रकरण अतिसंवेदनशील एवं महत्वपूर्ण बन जाता है।

अतः परीक्षार्थियों से प्राप्त शिकायत के आधार पर आपको यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को **प्रथमतः वर्ष रिमाण्डेड / पूरक परीक्षा 2018–19 के प्रवेश–पत्र तुरन्त / आज ही परीक्षार्थियों को जारी करें, इसके उपरान्त ही विवाद को नियमानुसार निस्तारित करें। क्योंकि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोकना छात्रों के हित में नही है तथा यह इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यदि आपके द्वारा उक्त छात्रों को प्रवेश–पत्र जारी नही करने के कारण छात्र परीक्षा से वंचित होते है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।**

For परीक्षा नियंत्रक
दिनांक: 15/6/2022

क्रमांक:पैरामेडिकल.कौ / परीक्षा–कंडक्ट / 2022 / 1482
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. सम्बन्धित परीक्षार्थियों / शिकायतकर्ता को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक